

शिक्षण संस्थानों पर वस्तु एवं सेवा कर के प्रभावों का अध्ययन

*गौरव माहेश्वरी

सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर, चम्पावत, उत्तराखण्ड

शोधसार: प्रस्तुत अध्ययन भारत में शिक्षण संस्थानों पर वस्तु एवं सेवा कर के प्रभावों को जानने के लिए किया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर क्रांतिकारी प्रभाव डाला है, जिससे उनका समग्र वित्तीय प्रदर्शन प्रभावित हुआ। उन्हीं में से एक क्षेत्र है, शिक्षा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे देश में शिक्षा केवल सार्वजनिक क्षेत्र में थी, परन्तु धीरे-धीरे सरकारों ने इसे निजी हाथों में सौंपना प्रारम्भ कर दिया इस निजीकरण की प्रक्रिया के उपरान्त देश में निजी शैक्षिक संस्थानों की संरचना में अमूल चूक वृद्धि हुई। केन्द्र सरकार द्वारा 101 वॉ संविधान संशोधन करके देश में प्रचलित विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समावेशित कर 01 जुलाई 2017 को एक नया अप्रत्यक्ष कर 'वस्तु एवं सेवा कर' को लागू कर दिया। इस कर का उद्देश्य "एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार" की अवधारणा को बल प्रदान करना था। वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने के बाद देश में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं पर इस कराधान व्यवस्था के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव देखने को मिले। इन प्रभावों से शिक्षा जैसी सेवायें प्रदान करने वाली संस्थायें भी अछूती नहीं रही लेकिन फिर लैज् ब्वनदबपस ने शैक्षिक संस्थाओं को लैज् से मुक्त रखने का प्रयास किया है। इस अध्ययन के द्वारा द्वितीय समको का प्रयोग करके शिक्षण संस्थानों पर वस्तु एवं सेवा कर के प्रभावों का अध्ययन करेंगे।

शब्दविन्दु:- वस्तु एवं सेवा कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, लैज् ब्वनदबपस

शिक्षा किसी भी देश की आधारशिला है जिस देश की शिक्षा व्यवस्था जितनी सुदृढ़ होगी उस देश की तरक्की उतनी ही अधिक होगी। विश्व में अधिकांश देशों में शिक्षा को एक सामाजिक कार्य समझा जाता है न कि व्यवसायिक कार्य। हमारे देश में शिक्षा दो प्रकार के शैक्षिक संस्थानों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है, एक सार्वजनिक और दूसरे निजी क्षेत्र के द्वारा। निजी क्षेत्र के द्वारा धीरे-धीरे शिक्षा का व्यवसायीकरण प्रारम्भ होने लगा यही कारण है कि सरकार द्वारा शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को भी कर प्रणाली में शामिल कर लिया गया।

वस्तु एवं सेवा कर में केन्द्र सरकार व विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाये जाने वाले अप्रत्यक्ष करों को समाहित करके "एक देश एक कर" के नारे के साथ सम्पूर्ण भारत को एक बाजार बनाने का प्रयास किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा 01 जुलाई, 2017 को 101 वॉ संविधान संशोधन अधिनियम 2016 पारित करके भारतीय अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक प्रभावी आर्थिक सुधार के रूप में "वस्तु एवं सेवा कर" को सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया।

वस्तु एवं सेवा कर में समाहित विभिन्न कर

संघीय कर	राज्य कर
● सीमा शुल्क	मूल्य वर्धित कर
● उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्क
● सेवाओं पर कर	मनोरंजन कर

- केन्द्रीय विक्रय कर
- केन्द्रीय स्टॉप शुल्क

सेवा कर
विलासिता कर

2-अध्ययन की आवश्यकता- इस अध्ययन के द्वारा वर्तमान कर प्रणाली मूलरूप से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का भारतीय शैक्षिक संस्थानों पर पड़ने वाले सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों को जानने में सहायक होगी तथा वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत जो सेवाएँ शिक्षा से सम्बन्धित हैं इसमें शामिल किया गया है।

3- सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन-

अल्पना यादव (2016) इस अध्ययन के अन्तर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था पर वस्तु एवं सेवा कर के प्रभावों का अध्ययन किया गया। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एक कर में समाहित करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किया गया। वस्तु एवं सेवा कर के द्वारा कराधान की लागत में भी कमी आयी।

शिर्दे (2019) इस अध्ययन के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर जी0एस0टी0 के प्रभावों का मूल्यांकन किया गया है। यह अध्ययन बताता है कि वस्तु एवं सेवा कर एक सरल व आसानी से अपनायी जा सकने वाली कर प्रणाली है जिसको अपनाने से कोई भी करदाता आसान तरीकों से अपने कर का भुगतान कर लेता है।

पल्लवी सक्सेना और पाण्डेय (2019) यह अध्ययन वस्तु एवं सेवा कर के द्वारा सरकार के राजस्व वृद्धि के मूल्यांकन के लिए किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से ही अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करने वाले करदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है और सरकार को अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त होने वाले राजस्व में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत कर भुगतान व कर निर्धारण की प्रक्रिया में सरलता व पारदर्शिता आयी है।

सी0एम0ए0 अमित आप्टे (2019) द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक लण्णैण्ण वद म्कनबंजपवद ैमबजपवद के

द्वारा बताया गया कि शिक्षा से सम्बन्धित सभी प्राथमिक सेवायें जैसे स्कूल फीस, परीक्षा फीस, मूल्यांकन फीस आदि सेवायें जो एक शैक्षिक संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जा रही हैं वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत कर मुक्त हैं परन्तु शिक्षा की अनुषांगिक सेवायें जो शिक्षण संस्थानों को बाहर से प्रदत्त की जाती हैं जैसे-यातायात, इंटरनेट, स्टेशनरी आदि को कर देयता की श्रेणी में रखा गया।

शालिनी और डॉ एम0 सुमंथी ;2024 के अनुसार, ळैज् लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शैक्षिक संस्थानों की संचालन लागत में वृद्धि दर्ज की गयी है। विशेष रूप से हॉस्टल परिवहन कैंटीन जैसी सहायक सेवाओं पर ळैज् लागू होने के कारण इन संस्थानों को अतिरिक्त वित्तीय भार को वहन करना पडा। इस लागत को संतुलित करने के लिए कई निजी एवं अर्द्ध-सरकारी शिक्षण संस्थानों ने फीस में वृद्धि की, जिसका सीधा असर ग्रामीण छात्रों के नामांकन पर पडा।

अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया कि मध्यमवर्गीय एवं निम्न आयवर्ग के अभिभावकों के लिए यह बढ़ी हुई फीस वहन करना कठिन होता जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप छात्र नामांकन दरों में गिरावट देखी गयी है। विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहाँ सरकारी विकल्प सीमित हैं, वहाँ जी0 एस0 टी0 जनित शुल्क वृद्धि शिक्षा सुलभता को प्रभावित कर रही है। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्र में अप्रत्यक्ष कर नीति बनाते समय सामाजिक- आर्थिक प्रभावों का गंभीरता से मूल्यांकन आवश्यक है।

अग्रवाल और चटर्जी ;2019 के अध्ययन में स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि ब्वतम शिक्षा सेवाओं -जैसे विद्यालयों और विश्वविद्यालयों द्वारा डिग्री प्रदान करना, कक्षा

शिक्षण और पाठयक्रम आधारित शैक्षणिक गतिविधियों को ळैज् से छूट दी गई है, फिर भी सहायक सेवाओं पर टैक्स लागू होने से संस्थानों की कुल वित्तीय योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

इन सहायक सेवाओं में हास्टल, परिवहन, कैटीन, सुरक्षा, ट्यूशन सेंटर, फोटोकॉपी, परीक्षा शुल्क जैसी सेवाएं शामिल हैं जिन पर 5 प्रतिशत से लेकर 18 प्रतिशत तक का कर लागू होता है। अध्ययन में यह उल्लेख किया गया है कि कई निजी संस्थान और स्वयंसेवी शैक्षणिक संगठन इन सेवाओं को आउटसोर्स करते हैं और इन पर लगने वाला ळैज् छात्रों अंततः से वसूला जाता है।

इसका प्रत्यक्ष प्रभाव संस्थानों की लागत संरचना और फीस निर्धारण नीति पर देखा गया। कई संस्थानों को अपनी

बजट रणनीतियों में संशोधन करना पड़ा जिससे या तो फीस बढ़ानी पड़ी या फिर कुछ सेवाओं की गुणवत्ता में कटौती करनी पड़ी। इस प्रकार भले ही शिक्षा सेवा के मूल ढांचे को कर-मुक्त रखा गया है, किन्तु व्यावहारिक स्तर पर ळैज् ने शैक्षणिक संस्थानों की वित्तीय स्वतंत्रता और स्थिरता को प्रभावित किया है।

शैक्षिक संस्थानों पर वस्तु एवं सेवा कर - शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली मुख्य शैक्षिक सेवाओं को जी0एस0टी0 से मुक्त रखा गया है। जी0एस0टी0 के अन्तर्गत शैक्षिक संस्थान से आशय उस संबंध से है जो प्राथमिक शिक्षा या प्रा0 स्कूल से लेकर उच्च माध्यमिक तक की शिक्षा प्रदान कर रही हो

शिक्षा सम्बन्धित सेवाओं पर जी0एस0टी0 (G.S.T.)

सेवा का प्रकार	जी0एस0टी0 दरें	जी0एस0टी0
प्री0 स्कूल शिक्षा	मूक्त (शून्य)	हॉ
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा	मूक्त (शून्य)	हॉ
उच्च शिक्षा सेवायें	18 प्रतिशत	नहीं
निजी ट्यूशन	18 प्रतिशत	नहीं
व्यवसायिक प्रशिक्षण	18 प्रतिशत	नहीं

शिक्षा सेवाओं पर जी0एस0टी0 की दरें:

सेवा का प्रकार	जी0एस0टी0 दरें
प्री0 स्कूल शिक्षा	0 प्रतिशत
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा	0 प्रतिशत
उच्च शिक्षा	18 प्रतिशत
व्यवसायिक कोचिंग	18 प्रतिशत
टालनाइन पाठक्रम (कोचिंग)	18 प्रतिशत

शिक्षा सेवाओं का वर्गीकरण:

सेवा श्रेणी	विवरण
स्कूली शिक्षा	प्री0 स्कूल, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा
उच्च शिक्षा	कलेज, विश्वविद्यालय
व्यवसायिक प्रशिक्षण	कौशल विकास पाठ्यक्रम
व्यवसायिक कोचिंग	परीक्षा की तैयारी, निजी ट्यूशन
ई लर्निंग	ऑनलाईन पाठ्यक्रम, डिजीटल पाठ्यक्रम

शिक्षा के क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा कर प्रभाव: भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का उद्देश्य दोहरे कर व्यवस्था को समाप्त करके एक सुदृढ़ अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को स्थापित करना था। लेकिन वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पश्चात इसको अपनाने में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार से पड़ रहा है उन्ही क्षेत्र में भी वस्तु एवं सेवा कर के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं उनमें से कुछ निम्नांकित प्रकार से हैं।

सकारात्मक प्रभाव-

- 1- वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत में समान कर की दर।
- 2-डिजीटल माध्यम से कर का भुगतान व डिजीटल ई-बे बिल की सुविधा।
- 3-पुराने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की तुलना में अधिक पारदर्शिता।
- 4-शिक्षण संस्थानों द्वारा सीधे छात्रों को प्रदान की जाने वाली सेवार्यें कर से मुक्त।
- 5-विभिन्न अप्रत्यक्ष करों से संस्थान पर केवल एक कर का भुगतान।

नकारात्मक प्रभाव-

- 1-वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत कराधान व्ययों में वृद्धि।
- 2-शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली गैर शिक्षण सेवाओं पर कर लग जाने के कारण छात्रों पर अधिक आर्थिक बोझ।
- 3-कर मुक्त शिक्षण सेवाओं पर इन्पुट क्रेडिट का लाभ न मिल पाना।
- 4-वस्तु एवं सेवा कर के कारण शैक्षिक संस्थाओं की परिचालन लागत में वृद्धि।
- 5-शोध एवं नवाचार पर प्रभाव।

वस्तु एवं सेवा कर से करमुक्त शिक्षण सेवार्यें-

- 1-छात्रों द्वारा भुगतान की जाने वाली परीक्षा शुल्क।
- 2-शिक्षण शुल्क, पुस्तकालय, खेल एवं कूद आदि के शुल्क।
- 3-प्रवेश परीक्षाओं के लिए शुल्क।
- 4-छात्रों को यातायात की सुविधा का शुल्क।
- 5-संस्थान द्वारा प्रदत्त नाश्ता, भोजन आदि।

वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत कर मुक्त सेवार्यें-

- 1-किसी बाह्य संस्थान द्वारा प्रदत्त उपकरण, फर्नीचर आदि पर कर।

2-गैर शिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये भोजन, यातायात आदि की सुविधा।

3-लेखन सामग्री।

4-पाठ्य पुस्तकों व आफलाईन माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे पाठ्यक्रमों पर।

5-विद्यालयी, गणवेश व अन्य सामग्री।

निष्कर्ष-

प्राथमिक व उससे पूर्व से लेकर उच्च माध्यमिक तक की शिक्षण सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत कर मुक्त रखा गया है। इस स्तर तक की शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थाओं को वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं है। परन्तु कालेज व विश्वविद्यालयी स्तर की शैक्षिक संस्थाओं को वस्तु एवं सेवा कर में पंजीकरण अनिवार्य है।

सन्दर्भ सूची-

1. Sehrawat M, Dhanda U. GST in India: A key tax reform. International Journal of Research-Granthaalayah. 2015;3(12): 133-141. Available:https://www.academia.edu/download/54385060/GST_Research_Paper.pdf

2. Makandar NM, Mulla NI. Impact of GST: A sectoral analysis. International Journal of Research in Management & Social Science. 2018;6(1):5-10.
3. Semwal S, Rani E, Verma V. Impact Assessment of goods and services tax (GST) on Shopkeepers. Advances in Research. 2020;21(4):1-9. DOI: 2.128
4. Kumar P, Walia JS, Singh G. Before-after effect of GST on the sales and profitability a study of top BSE companies in India. International Journal of Business and Globalisation. 2022;32(4):337-362. DOI:<https://doi.org/10.1504/IJBG.2022.128172><https://doi.org/10.9734/AIR/2020/v21i430195>
5. Nagaraj M, Shailaja ML. Assessing the long-term effects of GST on chosen sectors in the Indian economy. EPRA International Journal of Economics, Business and Management Studies (EBMS). 2023;10(9):49-55.

6. Sankar R. GST: Impact and implications on various industries in Indian economy. *Journal of Internet Banking and Commerce*. 2017;22(2).
7. Palil, M. R., & Ibrahim, M. A. (2011). The impacts of goods and services tax (GST) on middle income earners in Malaysia. *World Review of Business Research*, 1(3), 192- 206.
8. Mohani, A. (2003). Income tax noncompliance in Malaysia.
9. Western, M., Boreham, P., Laffan, W., Haynes, M., Chesters, J., Tighe, M., & Arts, D. (2005). Survey of International Students' spending
10. Western, M., Boreham, P., Laffan, W., Haynes, M., Chesters, J., Tighe, M., & Arts, D. (2005). Survey of International Students' spending
11. Aithal, P. S., & Aithal, Shubhrajyotsna (2020). Analysis of the Indian National Education Policy 2020 towards Achieving its Objectives. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS)*, 5(2), 19-41. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.398876>
12. Kumar, K (2005). Quality of education at the beginning of the 21st century: lessons from India", *Education for All Global Monitoring Report 2005*, 2004. [Accessed 2 October 2020 <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146663>
13. Impact of GST on Education Sector. July 29, 2017. Available from: <https://www.gstindia.com/impact-of-gst-on-education-sector/>
14. Vasanthagopal, S (2011). "GST in India: A Big leap in the Indirect Taxation System." *International Journal of Trade, Economics, and Finance*, vol. 2, no.2,144-146.
15. Dani, Shefali. (2016), "A Research Paper on an Impact of Goods and Services Tax (GST) on Indian Economy", *Business and Economics*

- Journal - An Open Access Journal,
ISSN: 2151-6219,1-2
16. Yadav, Alpana. (2017), “Impact of Goods and Service Tax on Indian Economy”, SSRG International Journal of Economics and Management Studies, ISSN:2393-9125,1-4
17. Dutta, Subhadeep. (2018), “A Study of Goods and Service Tax (GST) and its impact of Education Sector in India: A Secondary Data Analysis”, International Journal of Research, 5(19),173-190.
18. GST on educational sector. The Institute of Cost Accountants of India (Statutory body under an Act of Parliament) March, 2019. Available from:
https://icmai.in/TaxationPortal/Publication/OnlineRelease/GST_ON_EDUCATIONAL_SECTOR.pdf
19. GST (Goods & Services Tax) GST on Education Services. Available from:
https://www.cbic.gov.in/resources/htdocs/bec/gst/GST_Education_Services.pdf;jsessionid=83891E4F431651CAF6934DB35A1593B0
20. Goods & Services Tax GST (India) What is GST? Indirect Tax Law Explained. Cleartax.com. March 24, 2021. available from: [s](https://www.cleartax.com/articles-gst/what-is-gst/)
21. Chauhan, S., Tomar, D. S., & Phalke, B. (2017). Student’s Perception Towards the Newly Implemented GST in India. *Journal of Management Value & Ethics*, 72-76.
22. Naeem, S. S., & Khan, J. (2020). The Social & Economical Impact of GST on Indian Economy. *The International Journal of Business Management and Technology*, 74-85.
23. Garg, N. (2019). impact of GST on Various Sectors of Indian Economy. *RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary*, 668-673.
24. Bhattarai , K. (2019). Impacts of GST Reforms on Efficiency, Growth and

- Redistribution of Income in India: A systematic literature review. Dynamic CGE Analysis. *Munich Personal RePEc Archive*, 1-42
25. Maheshwari T, Mani M. Impact of goods and services tax on various sectors of Indian economy: A International Journal of Economic Policy in Emerging Economies. 2023; 17(4):539-555. DOI:<https://doi.org/10.1504/IJEPEE.2023.13253326>

*Corresponding Author: Gaurav Maheshwari

E-mail: gauravmaheshwari856@gmail.com

Received: 02 June,2025; Accepted: 27July 2025. Available online: 30 July, 2025

Published by SAFE. (Society for Academic Facilitation and Extension)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License

